सं. 39018 /1/ 98 - स्था. (ख)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 21 मई, 1999

कार्यालय ज्ञापन
विषय : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श

1. पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय-17 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यभार में कमी करने की सिफारिश की है जिससे आयोग ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दे सके और इस संदर्भ में कतिपय विशेष सुझाव दिए हैं । इससे पूर्व गृह मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने संघ लोक सेवा आयोग के कामकाज पर 1994 में प्रस्तुत अपनी बीसवीं रिपोर्ट में सरकार से कुछ और ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने को कहा है जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से समाप्त किया जा सके ताकि उसका कार्यभार कम हो सके । विगत समय में आयोग ने भी सरकार पर संगत भर्ती नियमों में संशोधन करने हेतु दबाव डाला था ताकि समूह 'ख' अराजपत्रित पदों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग से इतर अभिकरणों द्वारा की जा सके ।

2. इस परिप्रेक्ष्य में संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनिमय, 1958 के उपबंधों एवं अन्य संगत आदेशों की समीक्षा की गयी ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से समाप्त किया जा सके । ऐसी समीक्षा के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि :-

(क) ऐसी समूह 'ख' सेवा या पदों पर सीधी भर्ती करते समय, जिनके वेतनमान की अधिकतम सीमा 10,500/-रू. से कम है, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ऐसे पदों पर सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी ।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से 'क' और 'ख' सेवा या पदों के लिए सीधे भर्ती किए गए किसी व्यक्ति समूह 'क' या समूह 'ख' सेवा या समूह पद पर मूल नियुक्ति या स्थायीकरण हेतु विभागीय-प्रोन्नति समिति के कार्यवृत्त की संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पुनरीक्षण की प्रक्रिया समाप्त की जाएगी ।

(ग) समूह 'क' सेवा या पद वाले किसी अधिकारी की चयन - सह - वरिष्ठता पर किसी समूह 'क' सेवा या पद पर पदोन्नति करते समय, जिसके वेतनमान की अधिकतम सीमा 16,500/-रूपये से कम है, संघ लोक सेवा आयोग को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है । फिर भी, समूह 'ख' अधिकारी समूह 'क' के निम्नतम पद पर पदोन्नत करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

3. उपर्युक्त निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भर्ती नियमों के संगत उपबंधों में संशोधन करने हेतु विस्तृत (अम्ब्रेला) अधिसूचना जारी की जा चुकी है । उक्त अधिसूचना की प्रति सूचनार्थ संलग्न है । संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनिमय, 1958 एवं कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों को निर्धारित करने वाले दिनांक 4 नवंबर, 1975 के संकल्प के संशोधन भी साथ-साथ जारी किए जा रहे हैं ।

4. भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संदर्भ में इसे भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किया जाता है ।

हस्ताक्षर /-
निदेशक

सेवा में,
मानक सूची के अनुसार सभी मंत्रालय / विभाग ।
भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ।